

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

जॉन्सन डाय वर्क्स कंपाउंड, प्लॉट नं. 6 तथा 7,

मोती उद्योग नगर, रामचंद्रा लेन, मालाद (प. ), बॉम्बे 400 064

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Moti Udyog Nagar, Ramchandra Lane, Malad (w) , Bombay - 400 064

सं. / महा / भ. नि. / प्रयोज्यता

दिनांक

NO. MH/PE/APPI 9/288/289

Date: 03/8/98

संवा म

To Mr. Kleanzone Systems (I) Pvt. Ltd.

251A, Dallani Park

Borivoli (E) Mumbai 400066

विषय -- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना - इसकी प्रयोज्यता - संकेत संख्या का आवंटन।

Sub : Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 and the scheme framed thereunder -- applicability thereof -- Allotment of code number.

महोदय,

Sirs,

1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखाएँ और विभागों के साथ दि. 1.10.97 से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है

1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from 1.10.97. The information made available reveals that --

(1) आपकी फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।

(i) Your factory is engaged in one of the Industries specified in Schedule I to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.

2. आपकी स्थापना के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।

(ii) Yours is an establishments classified as Trading & Commercial to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a notification issued under Section 1 (3) (b) of the Act.

3. आपकी फैक्ट्री/स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भूत नहीं है। अतः आपकी स्थापना को अ-सूचिबद्ध माना गया है।

(1-क) जाँच पड़ताल/ उपलब्ध सूचना के आधार पर व्यापित तत्कालिक स्वरूप की है; लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।

(1-A) The coverage is provisional on the basis of enquiries made/ information available and is subject to further verification of your records for prior periods.

(1-ख) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैच्छिक रूप से विस्तार के

